छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 18 /04/2018

क्रमांक एफ5-39/1-4/2016 /स्था/चार :: राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा–2016 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर वित्त विभाग में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (लेखाधिकारी) के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, दो वर्ष की परिवीक्षा पर छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (लेखाधिकारी) के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रूपये 15600–39100 ग्रेड वेतन रूपये 5400/– में अनन्तिम (Provisional) रूप से पैरा 2.1 से 2.12 में उल्लेखित शर्तो के अधीन नियुक्त करता है :–

स. क.	लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य लेखा सेवा लेखाधिकारी का मुख्य सूची का सरल क.	नाम, पिता/पति का नाम एवं स्थायी पता	चयन का वर्ग
1.	1.	सौमित्र प्रधान, पिता–श्री पी.एल.प्रधान पता–वार्ड क्रमांक–07, कुंआ चौक, भटगांव, तह. बिलाईगढ़, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा	अनारक्षित
2.	2.	श्री सौरभ उइके पिता–श्री मनोहर राव उइके पता–आर.टी.एस. रेल्वे कॉलोनी, क्वा. नं. 959/1 स्ट्रीट नं.–57, तोरवा चौक, बिलासपुर	अनारक्षित
3.	3.	सुश्री पायल गुप्ता पिता–दिलीप गुप्ता पता–श्री लॉज के सामने, मेन रोड सरायपाली, जिला–महासमुंद	अनारक्षित (महिला)
4.	4.	श्री अमित नाथ योगी पिता–श्री नारायण नाथ योगी पता–103/सी, बशीर अहमद अपार्टमेंट, सी.एम.डी.कॉलेज के पास, लिंक रोड, बिलासपुर	अनारक्षित
5.	5.	श्री बजरंग सिंह वर्मा पिता–श्री मनोहर वर्मा पता–ग्राम–तुलसी (नेवरा), पोस्ट–नेवरा, थाना–नेवरा, जिला–रायपुर	अन्य पिछड़ा वर्ग
6.	6.	सुश्री खुशबू पवार पिता–श्री बसंत राव पवार पता–ग्राम व पोस्ट–भैसा, थाना–खरोरा, तह.–आरंग, जिला–रायपुर	अनारक्षित (महिला)
7.	7.	श्री गणेशू प्रसाद घिदौड़े पिता–श्री देवादास घिदौड़े पता–ग्राम व पोस्ट–भानसोज, वि.खं.–आरंग, जिला–रायपुर	अनुसूचित जाति
8.	8.	सुश्री कंचन भुआर्य पिता–श्री नंदाराम भुआर्य पता–ग्राम–गैंजी, पोस्ट–सहगांव, वि.खं एवं तहसील–डौण्डी लोहारा, जिला–बालोद	अनुसूचित जनजाति (महिला)
9.	9.	सुश्री प्रतिक्षा सिंह पिता–श्री जगन्नाथ प्रसाद सिंह पता–रिंग रोड केदारपुर, महाराणा प्रताप वार्ड–06, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा	अनुसूचित जनजाति (महिला ओपन)
10.	10.	सुश्री उमा सिन्हा पिता–श्री तेजकुमार सिन्हा पता–इमली भाठा, वार्ड नं.–02, श्रीवास गली, महासमुंद, जिला–महासमुंद	विकलांग श्रेणी (अनारक्षित)

16/4

निरंतर ... 2 ...

2/–2.1 यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (**Provisional**) है।

2.2 **(अ)** आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी नियुक्ति उपरांत उपस्थित होने पर संलग्न प्रारूप (एक) में शपथ–पत्र प्रस्तुत करेंगे।

(ब) विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के संबंध में उनके विकलांगता प्रमाण–पत्र का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाकर प्रस्तुत किया जाए।

2.3 परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में संचालनालय द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा भाग–1 एवं भाग–2 निर्धारित अवधि में उत्तीर्ण करना होगा ताकि परिवीक्षाधीन अवधि समाप्ति के पश्चात् पदांकन संबंधी आगामी कार्यवाही संचालित की जावेगी।

2.4 सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मापदण्ड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी कराया जायेगा। पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उनका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जायेगा तो, उसकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी।

2.5 शासकीय सेवा के दौरान अधिकारीगण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961, छ.ग.सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (राजपत्रित) नियम, 2013 से शासित होंगे।

2.6 उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है। अतः अभ्यर्थीगण राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे। बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गयी अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा। "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।

2.7 उपरोक्त अभ्यर्थियों को संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर में कार्यभार ग्रहण करते समय (स्थानीय) निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र की मूल प्रतियॉ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गयी कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

2.8 चयनित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बांड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गयी राशि की वसूली की जाएगी जिसमें वेतन भत्ते एवं यात्रा देयक भी शामिल होगा।

2.9 चयनित आवेदकों की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गयी चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी।

2.10 यह नियुक्ति पूर्णतः अंनतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

2.11 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है।

2.12 उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

संलग्न : यथोपरि।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

/16/5

(शारदा वर्मा)
संयुक्त सचिव

निरंतर ... 3 ...

पृ.कमांक एफ 1–4 / 2016 / स्था / चार / 510 नया रायपुर, दिनांक 16 / 04 / 2018

प्रतिलिपिः–

1. महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन सचिवालय, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय / वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
3. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर को उनके ज्ञाप कमांक 2380 / 45 / चयन / 2017 / AO रायपुर, दिनांक 24 जनवरी, 2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।
6. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
7. महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर
8. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
9. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं छ.ग. इंद्रावती भवन, नया रायपुर। कृपया मेडिकल बोर्ड से उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर, स्वास्थ्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र उसे शीघ्र प्रदाय करें। मेडिकल बोर्ड तिथि, स्थान व समय की सूचना अभ्यर्थी को सीधे सूचित करें, ताकि वह निर्धारित समय पर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित हो सके।
10. संचालक, जनसंपर्क विभाग, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
11. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित हेतु
12. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ को वित्त विभाग की वेबसाइट http://finance.cg.gov.in पर अपलोड करने हेतु
13. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर / बिलासपुर / जगदलपुर / अंबिकापुर एवं दुर्ग, छत्तीसगढ़
14. समस्त कोषालय अधिकारी, ...छत्तीसगढ़
15. संबंधित अभ्यर्थी...आपको निर्देशित किया जाता है कि नियुक्ति आदेश की पावती एवं सहमति अविलंब इस विभाग को भेजे एवं इस आदेश के जारी होने के दिनांक से **एक माह के भीतर** संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नया रायपुर में मूल प्रमाण–पत्रों सहित उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करें।
16. आर्डर बुक

__________ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

16/4

संयुक्त सचिव